PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE RAJYA SABHA

New Delhi
Dated: 12 July, 2018

AUTHENTICATED

(JAYANT SINHA)
MINISTER OF STATE FOR CIVIL AVIATION

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1431] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 2018/चैत्र 22, 1940

No. 1431] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2018/CHAITRA 22, 1940

जयंत सिन्हा / JAYANT SINHA
नागर विमानन मंत्री
Minister of State for Civil Aviation
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली - 110003 / New Delhi - 110003

नागर विमानन मंत्रालय

(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

का.आ. 1577(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 41 की उप-धारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2003 में,-
(I) नियम 3, नियम 4 और नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"**3. वेतन और भत्ते.-** (1) ऐसे अध्यक्ष को, जो शासकीय सेवक नहीं है, 2,00,000-3,70,000 रु. प्रतिमास के वेतनमान में वेतन संदत्त किया जाएगा
(2) पूर्णकालिक सदस्य को 1,80,000-3,40,000 रु. प्रतिमास के वेतनमान में वेतन संदत्त किया जाएगा ।

4. फीस.- ऐसे प्रत्येक अंशकालिक सदस्य को, जो शासकीय सेवक नहीं हैं, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होता है, 15,000 रु. की तथा प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब वह इसकी समिति में, यदि कोई हो, उपस्थित होता है, 10,000 रु. बैठक फीस संदत्त की जाएगी ।

5. निवास स्थान.- अध्यक्ष और प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य निम्नलिखित के अधीन रहते हुए निवास का हकदार होगा :-

(क) प्राधिकरण द्वारा इंतजाम की गई वास सुविधा के लिए किराए की वसूली के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाने वाली ऐसी वास सुविधा के लिए मासिक किराए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए वेतनमान के 7.5% की दर से की जाएगी; और

(ख) प्राधिकरण द्वारा जहां कहीं अपनी नगरी में या अपने आवासीय फ्लैटों में या पट्टे के आधार पर सज्जित आवास सुविधा का इंतजाम किया जाता है, 2.5% की दर से अतिरिक्त वसूली की जाएगी ।";

(II) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**9. यथास्थिति पर्यवसान या पदत्याग के लिए सूचना की अवधि.-** (1) ऐसे अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य अथवा कोई अंशकालिक सदस्य, जो शासकीय सेवक नहीं है, केन्द्रीय सरकार को 3 मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास का वेतन संदाय किए जाने पर अपना पदत्याग कर सकेगा।
(2) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य या किसी अंशकालिक सदस्य को, जो शासकीय सेवक नहीं है, उसे 3 मास से अन्यून की सूचना देने या उसके बदले में 3 मास का वेतन संदाय किए जाने के पश्चात् सेवा का पर्यवसान कर सकेगी ।"।

[सं. एवी-24011/25/2017-एएआई-एमओसीए]
अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 718(अ) द्वारा तारीख 12 जून, 2003 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2018

S.O. 1577(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 41 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Central Government, hereby makes the following rules to amend the Airports Authority of India (Conditions of Service of the Chairman and Other Members) Rules, 2003, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Airports Authority of India (Conditions of Service of the Chairman and Other Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Airports Authority of India (Conditions of Service of the Chairman and Other Members) Rules, 2003,–

(I) for rule 3, rule 4 and rule 5, the following rules shall be substituted, namely:–

"**3. Salary and allowances.** – (1) The Chairperson, who is not a servant of the Government, shall be paid salary in the scale of pay of Rs.2,00,000–3,70,000 per month.

(2) The whole-time Member shall be paid salary in the scale of pay of Rs.1,80,000–3,40,000 per month.

4. Fee. – Every part-time member, who is not a servant of the government, shall be paid a sitting fee of Rs.15,000/- for each day he attends the meetings of the Authority and Rs.10,000/- for each day he attends the meeting of its committee, if any.

5. Residential Accommodation. – The Chairperson and every whole-time member shall be entitled for residential accommodation on subject to the following: -

(a) Recovery of rent for the accommodation arranged by the Authority shall be @ 7.5% of the basic pay subject to the ceiling on the monthly rental for such accommodation to be regulated in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time; and

(b) additional recovery @2.5% wherever furnished accommodation has been arranged by the Authority either in its own township or own residential flats or arranged on lease basis." ;

(II) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:–

"**9. Period of notice for termination or resignation.** – (1) The Chairperson or a whole-time member or a part-time member, as the case may be, who is not a servant of the Government, may resign the office by giving notice in writing of not less than 3 months or on a payment of 3 months' salary in lieu thereof to the Central Government

(2) The Central Government may terminate the appointment of the Chairperson or whole-time member or part-time member, as the case may be, who is not a servant of the Government, after giving him a notice of not less than 3 months or on payment of 3 months' salary in lieu thereof.".

[No. AV-24011/25/2017-AAI-MOCA]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Airports Authority of India (Conditions of Service of the Chairman and Other Members) Rules, 2003 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 718(E), dated the 12th June, 2003.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.13 18:18:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.